शिक्षा विभाग,
बिहार सरकार
पत्रांक : EFE/402/2017-18/Part-II/...4567...

प्रेषक :

प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग
बिहार।

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE&SSA),
सभी जिला।

पटना, दिनांक : 13.08.2018

विषय : शैक्षिक सत्र 2018–19 की पाठ्य–पुस्तक के क्रय से संबंधित राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी अथवा उनके माता–पिता/अभिभावक के खाते में हस्तांतरित करने के संबंध में।

महाशय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि शैक्षिक सत्र 2018–19 में राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को खुले बाजार से पुस्तक क्रय हेतु राशि उनके खाते में DBT के माध्यम से दिए जाने का निर्णय लिया गया है। पुस्तक क्रय में गति लाने के उद्देश्य से ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय खुलते ही दिनांक **01.07.2018 से 15.07.2018 तक पुस्तक क्रय पखवाड़ा** मनाया जाना था। पुस्तक क्रय पखवाडा के पूर्व संबंधित राशि सभी लाभुकों के खातों में निश्चित रूप से हस्तांतरित करा दी जानी थी। परन्तु जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से किये जा रहे अनुश्रवण में यह देखा जा रहा है कि लाभार्थियों के खाते में राशि का हस्तांतरण अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। जिलों द्वारा V.C. में बताया गया कि, बैंको द्वारा 10 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों का खाता खोलने में आनाकानी की जा रही है जिसके कारण राशि का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा है। पूर्व में राज्य परियोजना निदेशक के पत्रांक EFE/402/ 2017-18/Part-II/9724 दिनांक 15.12.2017 के माध्यम से किसी भी उम्र के अवयरक (Minor) बच्चे का खाता उसके माता–पिता/कानूनी अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से खोलने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक का सकुर्लर सं0 RBI/2013-2014/581 दिनांक 06.05.2014 आपको प्रेषित किया गया था। फिर भी बैंको द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किए जाने की सूचना आपके द्वारा दी जा रही है।

ज्ञात हो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पाठ्यपुस्तक प्राप्त करना विद्यार्थियों का वैधानिक अधिकार है। बैंक खाते अथवा आधार की अनुपलब्धता के कारण किसी भी बच्चे को उसके इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुपालन हेतु निम्नांकित शर्तो के साथ यह निर्णय लिया गया है कि दस वर्ष से कम उम्र के जिन अवयस्क (Minor) बच्चों का बैंक खाता नहीं खुल पाया है, उनके माता–पिता अथवा अभिभावक के खाते में पाठ्यपुस्तक के क्रय से संबंधित राशि हस्तांतरित कर दी जाय :–

1. यह वैकल्पिक व्यवस्था केवल 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हेतु सिर्फ तब तक के लिए है, जब तक कि उनका संयुक्त खाता माता–पिता/अभिभावक के साथ न खुल जाए।
2. ऐसे बच्चों के खाता खोलने हेतु आपके द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास जारी रखा जाय।
3. यह व्यवस्था सिर्फ इस वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए है। इस बीच आप बैकों से सहयोग कर ऐसे बच्चों का खाता यथाशीघ्र खुलवाना सुनिश्चित करें।
4. सरकार के इस निर्णय से जिला स्तरीय बैंकर्स समिति को भी अवगत कराया जाए।

अतएव, अनुरोध है कि उक्त शर्तो के आधार पर विद्यार्थियों अथवा उनके माता–पिता/अभिभावक के खाते में राशि का हस्तांतरण युद्ध स्तर पर कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी बच्चे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राशि के अभाव में पाठ्यपुस्तक प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं रहना पड़े।

उक्त निर्णय पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(आर०के०महाजन)
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : EFE/402/2017-18/Part-II / 4567 दिनांक : 13.08.2018

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार/महाप्रबंधक, बैंकिंग डिपाटमेंट, दक्षिणी गाँधी मैदान, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना को सूचनार्थ एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खाता युद्ध स्तर पर उनके माता–पिता/कानूनी अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से खोलने हेतु अपने स्तर से भी बैंकों को निदेशित करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : EFE/402/2017-18/Part-II / 4567 दिनांक : 13.08.2018

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं युद्ध स्तर पर सभी विद्यार्थियों का खाता खुलवाने हेतु अपने स्तर से भी सभी आवश्यक उपाय करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग।